न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 31 / 2017

दर्ज दिनांक : 27 / 04 / 2017

निर्णय दिनांक : 10 / 10 / 2017

कालू पुत्र बालू जाति जाट निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—–वादी

बनाम

1. श्री किशन पुत्र लादू
2. श्रीलाल पुत्र लादू
3. लक्ष्मण पुत्र लादू
4. तेजाराम पुत्र लादू
5. रंगलाल पुत्र लादू
6. जयनारायण पुत्र लादू
7. जगदीश पुत्र लादू
8. हरजी पुत्र लादू

   समस्त जाति जाट निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

9. तहसीलदार, तहसील फागी, जिला जयपुर।

—–प्रतिवादीगण

<u>**वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा**</u>

उपस्थितः

श्री नारायण सहाय पारीक एडवोकेट
श्री गोपाल लाल चौधरी एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता वादी
श्री गोपेश पारीक एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ल. 8
प्रतिवादी सं. 9 की ओर से पैरो0 राज0 उप0।

निर्णय दिनांकः 10 / 10 / 2017

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण स्वर्गीय बालू के वारिसान है तथा वाके ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर के स्थायी निवासी है तथा आराजी खातेदारी भूमि वाके ग्राम रेनवाल मांजी, तहसील फागी में स्थित है। खातेदारी भूमि खसरा नंबर 1642 रकबा 06 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1651 रकबा 0.12 हैक्टेयर, खसरा नंबर 1654 रकबा 26 बीघा 05 बिस्वा, खसरा नंबर 2286 रकबा 09 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 2288 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 2289 रकबा 0.5 बिस्वा, खसरा नंबर 2298 रकबा 14 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2305 रकबा 0.8 बिस्वा भूमि वाके ग्राम रेनवाल, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उपरोक्त वर्णित खसरा नंबरान का पक्षकारान द्वारा विभाजन करवा लिया है। खसरा नंबर 1642/4 रकबा 0.11 बिस्वा एवं खसरा नंबर 1654/5 रकबा 1.07 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है उसमें से वादी का 1/2 हिस्सा होना चाहिये। खसरा नंबर 2298 रकबा 0.14 बिस्वा एवं 2305 रकबा 0.08 बिस्वा जो प्रतिवादीगण का 1/12 हिस्सा है उसमें से वादी का 1/24 हिस्सा होना चाहिये। खसरा नंबर 1654/3 रकबा 0.14 बिस्वा एवं 2288/3 रकबा 0.18 बिस्वा जो प्रतिवादीगण का 1/4 हिस्सा दर्ज है उसमें से वादी का 1/8 हिस्सा दर्ज होना चाहिये। खसरा नंबर 2286/1 रकबा 0.18 बिस्वा एवं खसरा नंबर 2286/8 रकबा 0.12 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के 1/12 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उसमें से वादी का 1/24 हिस्सा होना चाहिये। खसरा नंबर 2316/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के 1/4 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उसमें वादी का 1/8 हिस्सा होना चाहिये। खसरा नंबर 1651 रकबा 0.12 बिस्वा जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के 1/12 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है उसमें से वादी का 1/2 अर्थात 1/24 हिस्सा होना चाहिये। उपरोक्त आराजीयात पुश्तैनी आराजीयात है जो पर्चा आया उस समय लादिया, बाल्या के नाम आया जबकि बाल्या लादू का पिता था जबकि पर्चा लादिया

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

एवं काल्या के नाम आना चाहिये जो रिकॉर्ड से प्रमाणित है तथा लादिया एवं काल्या पर्चाशुदा आराजीयात पर काबिज रहे अभी कुछ समय पूर्व लादिया का स्वर्गवास हो गया तथा उसके विरासत का नामान्तकरण प्रतिवादीगण के हक में खुल गया जिससे प्रतिवादीगण वादी के नाम लगवाने का आश्वासन देते रहे तथा कब्जा बाबत कभी भी विवाद नहीं रहा तथा वर्तमान में भी वादी अपने हिस्से की आराजीयात पर काबिज काश्त है। वादी ने अभी हाल ही में प्रतिवादीगण को कहा कि मेरी उम्र अंतिम पडाव पर है तथा भविष्य में उक्त जमीन को लेकर परिवार में कोई विवाद नहीं हो इसका इन्द्राज मेरे नाम करवा दो तो प्रतिवादीगण टालमटोल करने लगे जिससे वादी को संदेह उत्पन्न हो गया इस बाबत परिवारजनो को भी इकट्ठा किया लेकिन प्रतिवादीगण बाज नहीं आये जिससे वाद विरूद्व प्रतिवादीगण इस्तकरारहक का पेश किया जाना लाजिमी हुआ है।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणा फरमाई जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात खसरा नंबर 1642/4, 1654/5 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है उसमें से वादी का 1/2 हिस्सा, खसरा नंबर 1654/3, 2288/3 जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के हिस्सा 1/4 दर्ज है में से वादी के 1/8 हिस्सा एवं खसरा नंबर 2298, 2305, 2286/1, 2286/8, 1651 जो प्रतिवादीगण के दर्ज हिस्सा 1/12 में वादी को 1/24 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं खसरा नंबर 2316/2 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा में से वादी का 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलबाजी नहीं करे एवं राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन नहीं करावे एवं रहन, बेय, मुन्तकिल नहीं करे, ना ही बेचान आदि करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 29.06.2017 को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने राजीनामा प्रस्तुत किया, राजीनामा बाद जांच तस्दीक किया जाकर, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 ने इकबालिया

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

जवाबदावा पेश किया शामिल पत्रावली किया गया। पैरोकार सरकार ने जवाब पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 22.09.2017 को वकील वादी ने साक्ष्य में कालू पुत्र बालू, जयनारायण पुत्र लादू के शपथ पत्र पेश किये, शामिल पत्रावली किये गये।

पक्षकारान ने अपने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि हम पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है, इस कारण वादी का वाद स्वीकार कर खसरा नंबर 1642/4 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 1654/5 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, जो प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज है उसमें वादी का 1/2 हिस्सा का तथा खसरा नंबर 1654/3 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2288/3 रकबा 18 बिस्वा जो प्रतिवादीगण के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है उसमें वादी को 1/8 हिस्सा का एवं खसरा नंबर 2298 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 2305 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नंबर 2286/1 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नंबर 2286/8 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 1651 रकबा 12 बिस्वा जो प्रतिवादी के 1/12 हिस्सा दर्ज है उसमें वादी को 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी, फागी
सत्यमेव जयते
जिला-जयपुर

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, इकबालिया जवाबदावा, राजीनामा, शपथ पत्र कालू पुत्र बालू, जयनारायण पुत्र लादू, वकील वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.बी.जे 1991 पेज 531, आर.बी.जे. 1994 पेज 133 का ससम्मान अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी ने वाद के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात में अपने हिस्से की खातेदारी घोषणा चाही है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 आराजीयात में सहखातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

चूंकि वादी व प्रतिवादी के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है एवं प्रतिवादी ने वादी के वाद को स्वीकार कर डिक्री किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है, न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत–उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास–सावन कुमार चायल (आर.ए.एस.)

उनवान

कालू

बनाम

श्रीकिशन व अन्य

:– वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा :–

मुकदमा नं0 –31 / 2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी हाजिरी रूबरू प्रतिवादी मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 1642 / 4, 1654 / 5 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्से में से वादी को 1 / 2 हिस्से, खसरा नंबर 1654 / 3, 2288 / 3 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1 / 4 में से वादी को 1 / 8 हिस्से, खसरा नंबर 2298, 2305, 2286 / 1, 2286 / 8, 1651 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1 / 12 में से वादी को 1 / 24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे।

निज......................मुबलिग...बाबत..
खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह...फीसदी.............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक...................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 10 / 10 / 2017 को जारी की गई।

दस्तखत.................

उपखण्ड अधिकारी

ओहदा.................

फागी (जयपुर)

मुहर

उपखण्ड अधिकारी फागी जयपुर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर	–Nil–	
फीस कमीश्नर	–Nil–		बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नोट:- इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1/12/2017 द्वारा प्रार्थनापत्र 152 CPC स्वीकार होने पर डिक्री में ख0नं0 2316/2 रकबा 1.03 बीघा वाके ग्राम रेनवाल मांझी में प्रतिवादीगण 1 ल0 8 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से में से वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी

अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर ग्राम रेनवाल मांझी, तहसील फागी, जिला जयपुर के खसरा नंबर 1642/4, 1654/5 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्से में से वादी को 1/2 हिस्से, खसरा नंबर 1654/3, 2288/3 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/4 में से वादी को 1/8 हिस्से, खसरा नंबर 2298, 2305, 2286/1, 2286/8, 1651 में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज हिस्सा 1/12 में से वादी को 1/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10/10/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

नोट:- इस न्यायालय के आदेश दिनांक 1/12/17 द्वारा प्रार्थना 152 CPC स्वीकार होने पर निर्णय में ख0न0 2316/2 रकबा 1.03 बीघा वाके रेनवाल मांजी में प्रतिवादीगण 1 ला0 8 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से मे से वादी को 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)